प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट क्र० 1153
[5/12/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1153]

परिशिष्ट 25

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 2–3/2016/22/पं.–1 भोपाल, दिनॉक 14.09.2016.

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–समस्त, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत–समस्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला कोषालय अधिकारी
   मध्यप्रदेश।

विषयः– पंचायत समन्वय अधिकारियों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से दिये जाने बाबत्।

–0–

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के निर्देश दिनांक 24.01.2008 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के सिविल सेवा सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतनमान दिये जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये हैं। यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.1999 द्वारा प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित कर प्रभावशील किये गये हैं।

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 05.08.2010 द्वारा पंचायत समन्वय अधिकारी को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। शासन द्वारा इनकी वेतन विसंगति का निराकरण करते हुए दिनांक 28.11.1988 से स्नातक को रुपये 1200–2040 एवं गैर–स्नातक को रुपये 1150–1800 स्वीकृत किया गया है।

यह संज्ञान में आया है कि कोष एवं लेखा कार्यालयों द्वारा इस आशय की आपत्ति लगाई जाती है कि ग्राम सहायक (पंचायत समन्वय अधिकारी) को एक उच्च वेतनमान दिनांक 28.11.1988 को प्राप्त हो चुका है।

कोष एवं लेखा कार्यालयों द्वारा लगाई जा रही आपत्तियों के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया, जिसमें वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "पंचायत समन्वय अधिकारी संवर्ग में गैर–स्नातक/स्नातक दो पृथक–पृथक ग्रेड वेतन के पद हैं, एवं दोनों ही पर सीधी भर्ती के हैं। अतः दोनों ही पदों के लिए उस पद पर नियुक्ति दिनांक/पदोन्नति दिनांक के आधार पर ही आगामी समयमान वेतन/वेतन के लिए सेवा अवधि की गणना की जाना होगी।"

अतः पंचायत समन्वय अधिकारियों को समयमान वेतनमान/पदोन्नति के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार ही नियुक्ति दिनांक से अवधि की गणना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

14/10/2016
(शोभा निकुम)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठां. कमांक एफ 2–3/2016/22/पं.–1 भोपाल, दिनॉक 14.09.2016.

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग की ओर टीप क्रमांक 720/2077/वित्त/नियम/चार दिनांक 08.06.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रांताध्यक्ष मध्यप्रदेश पंचायत समन्वय अधिकारी संघ ब्लॉक कालोनी सिहोरा जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

14/10/2016

अवर सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ स्था:
प्रति,